समाहरणालय मधेपुरा

(पंचायत कार्यालय)

-: आदेश :-

निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-83(आ0), दिनांक-22.01.2014 योजना मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघुशीर्ष-800- अन्य व्यय-उपशीर्ष-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए व्यय हेतु कुल राशि मो0 324000.00 रूपये को जिला के संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निम्नप्रकार उपावंटित किया जाता है :-

कमांक	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	किराये पर लिये गये भवनों की संख्या	मासिक दर	कुल 12 महीना(एक वर्ष)	कुल राशि
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	1	500	1X500X12	6000
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	7	500	7X500X12	42000
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	3	500	3X500X12	18000
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, घैलाढ	3	500	3X500X12	18000
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	5	500	5X500X12	30000
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	8	500	8X500X12	48000
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	4	500	4X500X12	24000
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	10	500	10X500X12	60000
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	7	500	7X500X12	42000
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	4	500	4X500X12	24000
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	2	500	2X500X12	12000
	कुल :-	54	(मो0 तीन लाख चौबीस हजार रूपये मात्र)		324000

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. यह आवंटन स्वकृत्यादेश संख्या-41, दिनांक-02.01.2014 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. विभागीय पत्रांक-2664, दिनांक-20.06.2009 द्वारा ऐसे ग्राम कचहरियों, जिन्हें अपना भवन नहीं है, को किराया पर भवन चयन कर अधिसूचित करने का निदेश दिया गया था। इसी आलोक में अधिसूचित कुल 54 ग्राम

कचहरी के किराया भवनों हेतु राशि अपावंटित की गई है जिसे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित ग्राम कचहरियों को उपलब्ध करायेंगे।

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमों के आलोक में किया जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि व्यय विवरणी टी0भी0नं0 एवं तिथि कि साथ अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजी जाय।

7. वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8. राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष /लघुशीर्ष/ उपशीर्ष/ प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों, का कोड/विपत्र कोड एवं मॉग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय।

10. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राशि की व्यय उपरान्त व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. इसका मॉग संख्या-16 एवं विपत्र कोड पी-2515008000112 है।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 116/पं0, मधेपुरा, दिनांक 07.02./2014 ।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि दिनांक-25.03.2014 तक प्रत्यापण प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

07/02/14
जिलाधिकारी